N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** नागपुर शहर **P.S.(ठाणे):** पाचपावली **Year (वर्ष):** 2019
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0942 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 23/11/2019 03:02 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**
1. **Day(दिवस):** शुक्रवार **Date From (दिनांक पासून):** 22/11/2019
Time Period (कालावधी): पहर 5 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 22/11/2019
Time From (वेळेपासून): 15:25 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 23/11/2019 **Time (वेळ):** 01:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ**
Entry No. (नोंद क्र.): 005 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 23/11/2019 02:29 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**
1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):** उत्तर, .1 किमी
Beat No. (बिट क्र.):
(b) **Address (पत्ता):** पोलीस स्टेशन पाचपावली येथील बानागपुर शहर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):
District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**
(a) **Name (नाव):** श्री.लालेंद्रकुमार सिंग
(b) **Father's/Husband's Name(वडील / पती चे नाव) :**
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत
(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**
(f) **Passport No.(पारपत्र क्र.):** **Date of Issue (दिल्याची तारीख):**
Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):
(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	फ्लट नं 201,गली नं 6, ,श्रीवास टवर, रमाई नगर, नारी र,नागपुर शहर ,जरीपटका ,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	फ्लट नं 201,गली नं 6, ,श्रीवास टवर, रमाई नगर, नारी र,नागपुर शहर ,जरीपटका ,नागपुर शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.): **Mobile (मोबाइल नं.):**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री. शंकर सुरेष बोंडे			1. पोलीस लाईन टाकळी ,क्वार्टर जी 5, , नागपुर शहर ,पाचपावली,नागपुर शहर, महाराष्ट्र,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू. मध्ये))

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

पोलिस स्टेशन पाचपावली नागपुर शहर अपराध क्रमांक -- 942 /2019 कलम 7 ला.प्र.का.1988 (सुधारीत अधिनीयम 2018)फिर्यादी:- श्री.लालेंद्रकुमार सिंग उमर 52 साल, व्यवसाय- ठेकेदार ब्लक नं. 1, पहिला मजला, रजत टावर, जसवंत आयनक्स सिनेमा हल के पास, इंदोरा चैक, कामटी रोड, नागपूर 17 मु. फ्लट नं. 201,गली नं. 6, श्रीवास टवर, रमाई नगर, नारी रींग रोड, पावर ग्रिड के पास, नागपूर 26आरोपी :- श्री. शंकर सुरेष बोंडे,वय 30 वर्ष पद - परि. पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस स्टेशन पाचपावली नागपूर शहर, रा. पोलीस लाईन टाकळी क्वार्टर जी. 5, नागपूरघटनास्थळ :- पोलीस स्टेशन पाचपावली येथील बाजुचे खोलीतघटना ता. वेळ:- दिनांक 22/11/2019 चे 15.25 वा. दाखल अधिकारी ---पोउपनि एम. ऐ. गोडबोले पोस्टे पाचपावली नागपुर शहर प्रकरण अशा प्रकारे आहे की, नमुद घटना ता. वेळी व ठिकाणी यातील आरोपी यांनी फिर्यादीस त्यांचे विरूध्द असलेल्या तक्रारी अर्जावरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्या करीता फिर्यादी यांना 1,10,000/- रूपये लाचेची मागणी केली, प्रत्यक्ष पडाताळणी कार्यवाही दरम्यान तडजोडी अंती 50,000/- रूपये लाचेची मागणी करून स्वतःचे आर्थीक फायदयासाठी आपले लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून व वाम व भ्रष्ठ मार्गाचा अवलंब करून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकार न करता प्रत्यक्ष सापळा कार्यवाही दरम्याण आरोपी यांनी 50,000/- रूपये लाच रक्कम स्विकारून लाच रक्कम घेवुन आपले मो.सा. ने पसार झाल्याने सदचा गुन्हा नोंद करून तपासात घेतला.तपास अधिकारी:- श्री. योगेष्वर पारधी, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग भंडारा, मो.न. 9405157507 फिर्यादपुलीस थाना, पाचपावली, नागपुर
तारीख: 22/11/2019. मै लालेंद्रकुमार सिंग उमर 52 साल, व्यवसाय- ठेकेदार ब्लक नं. 1, पहिला मजला, रजत टावर, जसवंत आयनक्स सिनेमा हल के पास, इंदोरा चैक, कामटी रोड, नागपूर 17 मु. फ्लट नं. 201,गली नं. 6, श्रीवास टवर, रमाई नगर, नारी रींग रोड, पावर ग्रिड के पास, नागपूर 26, मो.नं. 9028215540मै दिनांक 19/11/2019 को मेरे दोस्त श्री. गौसुद्दीन सय्यद इनके साथ अन्टी करप्षन ब्युरो, नागपूर ऑफिसमें आकर एस.पी. श्रीमती नांदेडकर मडमसे मिले और उन्हे हमारी षिकायत बताई। उसके बाद एस.पी मडम ने भंडारा पी.आय. श्री. पारधी इनको फोन कर के नागपूर बुलाया। हम श्री. तोतरे साहब के साथ उनके ऑफिस मे बैठे थे तब करीबन चार बजे के करीब श्री. पारधी साहब तोतरे साहब के ऑफिसमे आये। तोतरे साहबने हमारी पारधी साहब से पहचान कराके दी। पोलीस निरीक्षक श्री. पारधी साहाब इनके समक्ष मैने रिपोर्ट दी। मैने दी हुई रिपोर्ट निम्नलिखित है, मै समक्ष अन्टी करप्षन ब्युरो नागपूर ऑफीस मे आकर रिपोर्ट देता हु की, मै उपर दिये हुये पतेपर अपने परिवार के साथ रहता हु। तथा मै 16 सालसे आर्यमा इन्फ्रास्टचर का मालक हु। सन 2017 मे जहा मेरा ऑफिस है, उस दुकानकी बिक्री का करारनामा श्री अनिरूध्द मेश्राम इनके साथ हुआ है। श्री अनिरूध्द मेश्राम इनको मैने रजिस्ट्री करके मांगा था लेकिन उन्होने रजिस्ट्री नही कराई। बाद मे श्री अनिरूध्द मेश्राम इन्होने हमारे बिच हुये करारनामा के अलावा रू. 5,00,000/- ज्यादा पैसो की

मांग कि थी। करारनामा अनुसार उन्होने रजिस्ट्री नही कराके दी। इसके खिलाफ मैने नागपूर कोर्टमें केस दायर की है। जिसकी अगली तारीख 04/12/19 है। तारीख 18/11/19 को ऑफिसके गार्ड द्वारा मुझे पता चला की, दिनांक 16/11/19 को श्री अनिरूध्द मेश्राम यह मेरे ऑफिसका इलेक्ट्रीसीटी का मीटर काटकर खुद ले गये। 18/11/19 को श्री अनिरूध्द मेश्राम इन्होने मेरे खिलाफ पोलीस स्टेषन पांचपावली, नागपूर यहा प्लट खरेदी बिक्री के संबधमें फसाया करके रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। इस सिलसीलेमे मुझे 18/11/2019 को पाचपावली पुलीस ठाणेसे बोंडे साहबने फोन करके बुलाया था। और मुझे भी मेरे ऑफिसका इलेक्ट्रीसिटी का मिटर मेश्राम काटकर लेकर गया, उसके संबधमे रिपोर्ट करणे के लिये मै और मेरा दोस्त हेमराज टेंभुर्णे के साथ पाचपावली पुलीस ठाणा गया। मै श्री अनिरूध्द मेश्राम के खिलाफ मेरा मीटर काटने की रिपोर्ट पोलीस स्टेषन में लिखवा रहा था तभी बोंडे साहबने मुझे मेरा नाम पुंछा और मुझे गाली गलौच की। और लकअप की, बाजुवाले कमरे मे लेकर गये और मेरी पीटाई की । मेरे को दो लाख रूपये रिष्वत कि मांग करने लगे। और कहने लगा आपके उपर 420 का गुन्हा दाखल है। जबतक मैने दो लाख रूपये देणे की बात कबुल नही की तबतक बोंडे साहब मुझे दंडे और पटट्से पीटते रहे। उसके बाद बोंडे साहबने मेरा अरेस्ट फर्म भी भर लिया। तब डरकर मैने 90,000 रूपये मेरे दोस्त हेमराज टेभुर्णे को मेरे ऑफिससे लाने को कहा। टेंभुर्णे पैसे लेकर पुलीस ठाणा आया और मेरे कहने पर मेरे सामने बोंडे, साहबको 90,000/- रूपये दिये। और बाकी के एक लाख दस हजार रूपये 19/11/2019 को इंदोरा चैक में दोपहर 12.00 बजे लाके दे ऐसा कहा। उसके बाद मुझे तारीख 20/11/19 को पो. स्टे पाचपावली मे उपस्थित रहने के लिये सुचनापत्र दिया। उसके बाद मै अपने घर गया। मेरी बोंडे साहब को रिष्वत देने की इच्छा नही है, इसलीए मै आपके ऑफीसमे उनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट देता हु। यही मेरी रिपोर्ट है। मैने दि हुई रिपोर्ट मैने पढकर देखा, मेरे कहे मुताबिक रिपोर्ट कम्प्युटर पर टाईप की है तारीख 19/11/19 को श्री. पारधी, पोलीस निरीक्षक, असीबी भंडारा इनको आने के लिये समय था इसलीये तोतरे साहबने दो पंच लाने के लिये असीबी नागपूर के कर्मचारी को भेजा था। पारधी साहब आने के बाद कुछ देर में दो पंच आये। तारीख 19/11/19 को मेरी ओर से दी गयी रिपोर्ट दोनो पंचोको पढने के लिए दी गयी। श्री.पारधी साहब और दोनो पंचोने पढकर उसके उपर सही की थी। उसके बाद श्री. पारधी साहब, ईन्होने मुझे और पंच को मेरी रिपोर्ट के मुताबीक जच करने के लिए सुचना दी। जच कार्यवाही के लिए मै और पंच क्रमांक 1 श्री. प्रषांतपाल गोवर्धन तागडे ईनको बोंडे साहब, इनसे रिष्वत की बात करणे के लिये पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर यहा जाने के लिए रवाना किया। मेरे गलेमे व्हाईस रेकार्डर डालकर मै पंच क्र 1 के साथ पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर गया था। लेकीन बोंडे साहब पुलीस ठाणेमे मौजुद नही थे, उनकी छुट्टी थी। इसलीये मै, पंच क्र 1 के साथ अ.सी.बी. नागपूर कार्यालयमे वापस आये। और पारधी साहब को बताये की बोंडे साहब छुट्टीपर है। तब श्री. पारधी साहब ईन्होने मुझे, दोनो पंच और उनके स्टफ को सुचना दि की, कल हम फिरसे मेरे रिपोर्टपर जच कारवाही करेंगे। हम सभी को रिपोर्ट की, बात गुप्त रखनेके लिये कहा। और मुझे मेरे दोस्त श्री. सय्यद और दोनों पंचोको सुबह साडे दस बजे अन्टी करप्षन ब्युरो, नागपूर यहा पर उपस्थित रहने को कहा। दिनांक 20/11/2019 को श्री. पारधी साहब इनके दिये हुये सुचनाके अनुसार मै, मेरा दोस्त श्री. सय्यद और दोनो पंच साडे दस बजे अन्टी करप्षन ब्युरो नागपूर यहा पर आये। उसके बाद श्री. पारधी साहब इन्होने, जच कार्यवाही के लिये मुझे और पंच क्र. 1 श्री. प्रषांतपाल तागडे इनको बोंडे साहब इनसे रिष्वत की बात करणे के लिये पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर यहा जाने के लिए रवाना किया। मेरे गलेमे व्हाईस रेकार्डर डालकर मै पंच क्र 1 के साथ पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर गया था। पुलीस ठाणेकी एक रूम में बोंडे साहब बैठे थे। बोंडे साहब किसी दुसरे आदमी की सिकायत सुन रहे थे। उसके बाद उन्होने मेरे खिलाफ दिये गये रिपोर्ट के संबधमे मेरा बयान लिया। मेरेको इसमें मदत करणेका वादा किया। मुझसें सिधे सिधे पैसों की मांग नही की लेकीन मुझसें पैसे लेने का उनका इरादा था। उसी दिन श्यामकों बोंडे साहबने मेरे बयानपर साईन करणे के लिये बुलाया था। उसके बाद मै, पंच क्र 1 के साथ असी.बी. नागपूर कार्यालयमे वापस आये। पारधी साहबने व्हाईस रेकार्डरमे रेकर्ड हुवा सरंक्षीत संभाषण सुनकर रिष्वत की मांग स्पष्ट नही होणे की पुष्टी की और श्याम को फिर सें जच कार्यवाही करणेकी बात कही। उसके मुताबिक श्याम को फिरसे मै और पंच श्री. दिनेष मारोतराव दांडेकर इनके साथ बोंडे साहब से रिष्वत की बात करणे के लिये पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर यहा जाने के लिए रवाना किया। मेरे गलेमे व्हाईस रेकार्डर डालकर मै पंच के साथ पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर गया था। तब वहा पर बोंडे साहाब मौजुद नही थे मैने एक पुलीस वालेसे बोंडे साहाब के बारे मे पुछा तो उन्होने बताया की, बोंडे साहाब की, नाईट डयुटी है वो साडे नौ बजे आऐंगे। फीर मैने उनकी रहा देखी लेकीन बोंडे साहाब नही आए। फिर मै पंच के साथ ए.सी.बी. नागपूर कार्यालय वापस आया। व्हाईस रेकार्डर बंद करने के बाद मैने बोंडे साहाब पुलीस ठाणेमे नही होनेकी बात बताई। फिर कुछ देर के बाद फिर से व्हाईस रेकार्डर चालु कर कर पंच के साथ पाचपावली पुलीस ठाणा गया, तब वहा पर बहुत भिड थी। तब मै बोंडे साहब के पास गया और उनसे कहाकी अभी पैसे नही जमे है। तब बोंडे साहब ने मेरे सुबह दिये हुये बयान पर मेरी साईन ली। और मुझको घर जाणेके लिये कहा। उसके बाद मै, पंच श्री. दांडेकर के साथ असी.बी. नागपूर कार्यालयमे वापस आये। पारधी साहबने व्हाईस रेकार्डरमे रेकार्ड हुवा सरंक्षीत संभाषण सुनकर रिष्वत की मांग स्पष्ट नही होणे की बात कही। श्री. पारधी साहब ईन्होने मुझे, दोनो पंच और उनके स्टाफ को सुचना दि की, अगले दिन दि. 21/11/2019 को फिरसे जच कारवाही करनेकी बात कही। हम सभी को रिपोर्ट की, बात गुप्त रखनेके लिये कहा। और मुझे मेरे दोस्त श्री. सय्यद और दोनों पंचोको सुबह साडे दस बजे अन्टी करप्षन ब्युरो, नागपूर यहा पर उपस्थित रहने को कहा। दिनांक 21/11/2019 को श्री. पारधी साहब इनके दिये हुये सुचनाके अनुसार मै, मेरा दोस्त श्री. सय्यद, मेरा दुसरा दोस्त श्री. बाळकृष्ण आवारी और दोनो पंच साडे दस बजे अन्टी करप्षन ब्युरो नागपूर यहा पर आये। उसके बाद श्री. पारधी साहब इन्होने, जाच कार्यवाही के लिये मुझे बोंडे साहब को फोन लगाने के लिये कहा। व्हाईस रेकार्डर सुरू करणे के बाद मैंने श्री. बोंडे साहब को फोन लगाया और उनसे उन्होंने मांगे हुये एक लाख दस हाजार रूपये बारेमें बात की लेकीन बोंडे साहब ने तुरंत फोन काट दिया। थोडी देर बाद मैने फिरसे बोंडे साहब को फोन किया लेकीन उन्होंने मेरा फोन नही उठाया कुछ देर बाद बोंडे साहबका फोन आया और उन्होने मुझे कहापे हो पुछा तब मैन उनको कहा धंतोली मे हु और जैसेही मैने रिष्वते के रूपये के बारे मे बात कि उन्होने तुरंत फोन काट दिया। उसके बाद थोडी देर मे उनका फोन आया और उन्होने मुझसे मेरा बयान लेने के लिये फिरसे पुलीस ठाणे मे बुलाया। इसके बाद व्हाईस रेकार्डर बंद कर दिया। बोंडे साब ने रिष्वत के बारे मे कुछ भी बात नही की। तब पारधी साहब ने मुझे कुछ देर के बाद जाच कार्यवाही के लिये पाचपावली पुलीस ठाणा भेजने की बात कही। उसके बाद मुझे बोंडे साहब का फोन आया और उन्होने मुझे फोन पर पैसोकी बात नही करने के लिये कहा और मुझे पुलीस ठाणे आणेके लिये कहा तब मैन उन्हे खाना खा कर आता हु एसा कहा। उसके बाद पारधी साहब को लगा की बोंडे साहब को मुझपर शक आया होंगा इसलिये मै मेरी गाडीसे और पंच मेरे दोस्त श्री आवारी के साथ पाचपावली पुलीस ठाणे जायेंगे एसे कहा। उसके कुछ देर बाद मेरे गलेमे व्हाईस रेकार्डर डालकर मै मेरी गाडी से और पंच श्री दांडेकर मेरे दोस्त श्री आवारी के साथ उनकी गाडी पर पाचपावली पुलीस ठाणा नागपूर गये। मै पुलीस थाणे जाकर बोंडे साहब को फोन लगाया लेकीन उन्होने फोन नही उठाया। फिर उसके बाद बोंडे साहब का फोन आया मुझे कहा की दोन मिनीटमे आता हु तुम बाहार ही रूको एसा कहा। कुछ देर के बाद बोंडे साहब पुलीस ठाणे आये और मुझसे मेरे काम के सिलसिल मे बात की और मुझे कागजपर अभी कितना है एसा लिखकर दिया उसपर मैने कहा मेरे दोस्त के पास पचास हजार रूपये जमे है। एक लाख दस हजार रूपये नही जमे इसलीये मैन

पचास हजार उससे नही लिया तब उन्होने लालो पचास ऐसा कहा। फिर कुछ देर बात करणे के बाद मेरा मोबाईल बोंडे साहब ने लिया और मुझे कडबी चैक मे रूकने के लिये कहा। बोंडे साहब के कहे मुताबिक मै कडबी चैक थोडा आगे रूका था तब बोंडे साहब मेरे गाडी के पिछे अपनी गाडीसे आये और मुझे उनके पिछे आने का इशारा किया। फिर हम सि.आय.डी आफिस के एरीयामे आये फिर बोंडे साहबनें मेरा मोबाईल मुझे दिया और फिर मैने बोंडे साहब के कहने पर पैसो के लिये मेरे दोस्त श्री सय्यद इनको फोन लगाया उन्होने मुझे रात मे पैसे देणे की बात कही फिर मुझे बोंडे साहबने उनके पिछे आने के लिये कहा और बोंडे साहब मुझे नवनीत बार मे लेके गये वहापर हमने बांते की कुछ देर के बाद मेरा दोस्त आवारी इनका मुझे फोन आया मैने उन्हे बताया की मै नवनीत बार मे हु। थोडी देर बाद पंच श्री दांडेकर इनके साथ मेरा दोस्त आवारी नवनीत बार मे आया हमने बाते की, उसके बाद हम सब बार से बाहर आये तब मुझे बोंडे साहब ने रिष्वत की बात और मुझे पचास साठ अडजस्ट करणे के लिये कहा तब मै उन्हे कहा की पचास हजार कॅस था दोस्त के पास आपको पचास हजार मे हो जायेंगा क्या? एसा पुंछने पर बोंडे साहब बोले होजाता तुम लालो दस मिनीट में मै रूकता यहा पर। एसा बोलने के बाद मै मेरे गाडी से और पंच मेरे दोस्त के साथ उसके गाडीसे अन्टी करप्षन ब्युरो नागपूर यहा पर आये। श्री. पारधी साहब इन्होने संरक्षीत हुवा संभाषण सुनकर बोंडे साहब ने मुझसे पचास हजार रूपयोकी रिष्वत मांगी है इसकी पुष्टी की। मुझे रिष्वत देणे के लिये पचास हजार रूपये जमा करणे को कहा गया। मैने दि. 22/11/19 को सुबह पचास हजार रूपये लाणे का वादा किया। उसके बाद पारधी साहब ने कहा बोंडे साहब को पैसे देणे की कार्यवाही अगले दिन दि. 22/11/19 को करने की बात कही। हम सभी को रिपोर्ट की, बात गुप्त रखनेके लिये कहा। और मुझे मेरे दोस्त श्री. सय्यद, आवारी और दोनों पंचोको सुबह साडे आठ बजे अन्टी करप्षन ब्युरो, नागपूर यहा पर उपस्थित रहने को कहा।

दिनांक 22/11/2019 को श्री. पारधी साहब इनके दिये हुये सुचना के अनुसार मै, मेरा दोस्त श्री. सय्यद, मेरा दुसरा दोस्त श्री. आवारी और दोनो पंच पावने नव बजे अन्टी करप्षन ब्युरो नागपूर यहा पर आये। उसके बाद रिष्वत के लिये लाये हुये अपणे पास के पचास हजार रूपये जिसमे 500 की 100 नोट थी। उसपर अन्थ्रासिन पावडर लगाया गया। यह पावडर लगाने के बाद उनपर निले रंग का लाईट डालतेही नोटोपर चमक दिखती थी। उसके बाद मै, मेरा दोस्त श्री. सय्यद , श्री. आवारी दोनो पंच और अन्टी करप्षनके लोग मिलकर अवस्थी नगर स्थित मेरे दोस्त श्री. सय्यद इनके घर पर गये।

वहा पर मेरे पैंट के दाईने जेब मे श्री तागडे द्वारा 50000/- रुपये रखने के बाद व्हाईस रेकार्डर चालु कर के मैने बोंडे साहब को फोन लगाया तब बोंडे साहब ने मुझे थोडी देर मे पुलीस ठाणा आणे को कहा। थोडी देर रूकने के बाद फिर से मैने बोंडे साहब को फोन लगाया तब बोंडे साहब ने मुझे दस मिनीटमे पुलीस ठाणे मे आणेको कहा। फिर मै और पंच श्री. दांडेकर मेरे गाडीसे और अन्टी करप्षन के लोग उनकी अलग अलग गाडीयोसे पाचपावली पुलीस ठाणा पहुंचे। वहा पहुंचतेही मैने पंच को पुलीस ठाणे के बाहर रूकने का इशारा किया और मै अकेला पुलीस ठाणे के अंदर गया। पुलीस ठाणेके अंदर जातेही बोंडे साहब से मुलाखात हुई। फिर बोंडे साहब मुझे पुलीस ठाणे के एक कमरे में लेकर गये। और मुझे कल मिले हुऐ मेरे दोस्त के बारे मे पुछा। फिर मैने कहा पचास लाया हु। चल जायेंगान सर उसपर बोंडे साहब बोले निपटा लेंगे। बाद मे दे..दे ना। एसा बोलकर मुझसे पैसे लिये और हो जायेंगा इसमे आपका काम एसा बोलकर मुझे पांच मिनीट बैठने के लिये कहा। ऐसा बोलकर बोंडे साहब कमरेसे बाहर निकल गये। और अपणी गाडी चालु की, मेरा इषारा करणेसे पहले बोंडे सहाब पुलीस ठाणे की गेट के बाहर निकल गये मैने इषारा किया और सर.. सर.. करके चिल्लाया तभी अन्टी करप्षन के लोग बोंडे साहब को पकडणे के लिये आये वैसेही बोंडे साहब गाडी की स्पिड बढाकर भाग गये।

बोंडे साहब पुलीस ठाणा पाचपावली इन्होने मेरे खिलाफ दिये गये रिपोर्ट पर गुन्हा दाखल न करणे के लिये मुझसे एक लाख दस हजार रूपये रिष्वत की मांग की और तोलमोल करके पचास हजार रूपये मांगे। पचास हजार रूपये की रिष्वत लेकर ऍन्टी करप्षन के टिम को चकमा दे कर भाग गये है। इस लिये बोंडे साहाब पुलीस ठाणा पाच पावली इनपर कायदेषीर कार्यवाही करणे के लिये मै रिपोर्ट दे रहा हु।

मेरी उपर दि हुई रिपोर्ट को कम्प्युटर पर लिख कर उसका प्रिंट निकाला गया। मैने उसको पढकर देखा मेरे बताये मुताबीक लिखा गया है। वह बराबर है।

(L.K. SINGH)

13. **Action** **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): ashok maruti meshram(I (Inspector)) / NA **or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):
Rank (पद):
No.(क्र.): **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):
(L. K. SINGH)

15. **Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची
Name (नाव): ashok maruti meshram
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): NA